उ0प्र0पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या –1550–औ0सं0 / 2020–11(02)ए0एस0 / 20 दिनांक 22 जून, 2020

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पश्चिमांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ / मेरठ / वाराणसी / आगरा / कानपुर।

विषय – कोविड–19 संक्रमित अधिकारियों / कार्मिकों / पेशनर्स के चिकित्सालयों में इलाज के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

कृपया निगम के कतिपय अधिकारियों / कार्मिकों / पेंशनर्स के संक्रमण के दृष्टिगत उनके इलाज के चिकित्सा व्यय के प्रतिपूर्ति के संबंध में निर्देश दिया जाना आवश्यक हो गया है। तत्क्रम में चिकित्सा विभाग के स्तर से जारी शासनादेश संख्या 1012 / 5–5–2020 दिनांक 01 मई, 2020 तथा चिकित्सा अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या 155 / 2020 / 920 / पांच–6–2020 दिनांक 19 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। चिकित्सा विभाग द्वारा कोविड–19 महामारी से संक्रमित रोगियों के उपचार के लिये जहां राजकीय चिकित्सालयों / महाविद्यालयों में व्यवस्था की गयी है वहीं निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों को भी एल–1,एल–2 एवं एल–3 श्रेणी के चिकित्सालयों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

शासनादेश दिनांक 19 जून 2020 द्वारा ऐसे अधिसूचित निजी चिकित्सा संस्थान / महाविद्यालयों में कोविड–19 के रोगियों के उपचार पर हुये व्यय के भुगतान के लिये दरें निर्धारित करते हुये चिकित्सा विभाग के अधीन साचीज (स्टेट एजेन्सी फॉर कम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसंज) के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गयी है। अतः यह स्पष्ट है कि इन अधिसूचित निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों में हुये उपचार के लिये भुगतान निगम स्तर से न होकर चिकित्सा विभाग के अधीन साचीज के माध्यम से होगा तथा अधिकारी / कार्मिक को कोई व्यय नहीं वहन करना पड़ेगा ।

इसके अतिरिक्त चिकित्सा विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 01 मई 2020 द्वारा जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर से शासन द्वारा अधिसूचित चिकित्सालयों के अतिरिक्त अन्य निजी चिकित्सालयों को भी कोविड–19 संक्रमित मरीजों को भर्ती कर इलाज के लिये अधिकृत कर सकते हैं तथा इसके लिये वे आपसी सहमति से दरें निर्धारित भी कर सकते हैं।

2– अतः जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा कोविड–19 के उपचार हेतु जिन–जिन चिकित्सालयों को चिन्हित किया जायेगा, उन चिकित्सालयों में यदि उ0प्र0पावर कारपोरेशन एवं उसके सहयोगी डिस्काम के कार्मिक / पेंशनर्स, उनके आश्रित, पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा कोविड–19 का उपचार भर्ती होकर कराया जायेगा, तो उपचार का व्यय भार सम्बन्धित कार्मिक / पेशनर्स / पारिवारिक पेंशनरों द्वारा स्वयं ही वहन किया जायेगा तथा चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति जिला प्रशासन की सहमति से निर्धारित दरों पर कारपोरेशन के नियमानुसार की जायेगी।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

22/6

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0)

संख्या – 1550–औ0सं0 / 2020, तद् दिनांक –

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रांस0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उत्पा0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

5– निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0) / (वितरण) / (वित्त / वाणिज्य) / (कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।

6– निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0), उ0प्र0राज्य विद्युत उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

7– निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

8– महाप्रबन्धक (मा0सं0), उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

9– अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग / जाँच समिति–प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0पा0का0लि0।

10– मुख्य अभियन्ता, जल विद्युत, उ0प्र0पा0का0लि0।

11– समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।

12– महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक(औ0सं0) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0।

13– समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव / मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0।

14– समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0पा0का0लि0।

15– महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0राज्य विद्युत उ0नि0लि0, लखनऊ।

16– सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट, स्टेशन रोड, लखनऊ।

17– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

18– कट फाइल ।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

संख्या–1012/पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5

लखनऊ : दिनांक 01 मई, 2020

विषय–कोविड–19 संकमित मरीजों के इलाज हेतु निजी चिकित्सालयों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में कोरोना वायरस संकमित मरीजों की संख्या में निरन्तर बढ़ रही है। संकमित मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जनपदों में एल–1, एल–2 एवं एल–3 चिकित्सालयों को चिन्हित किया गया है।

2– प्रदेश के कतिपय निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड–19 के संक्रमित मरीजों को भर्ती कर उनका उपचार किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। जनपद स्तर पर ही ऐसे इच्छुक निजी चिकित्सालयों की सूची तैयार की जानी है। प्रदेश सरकार द्वारा इन निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित नहीं किया जाएगा वरन् मात्र संज्ञान लिया जाएगा एवं जो मरीज इन निजी चिकित्सालयों में उपचार के लिए आएगें उनके द्वारा उपचार का सम्पूर्ण व्यय भार स्वयं ही वहन किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा जिन निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित किया गया है या भविष्य में किया जाना है उनमें मरीजों के उपचार में होने वाला व्यय प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।

3– इन निजी चिकित्सालयों में चिकित्सक, नर्स एवं अन्य मेडिकल स्टॉफ को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा एवं इन्फेक्शन प्रिवेन्शन प्रोटोकाल की गाइडलाइन के अनुसार, चिकित्सालयों में समुचित व्यवस्था करना होगा। कोविड–19 के लिए सम्पूर्ण अस्पताल को अथवा एक पृथक ब्लाक को डेडिकेटेड कोविड–19 चिकित्सालय बनाना होगा तथा इसमें अन्य मरीजों का उपचार नहीं किया जाएगा। निजी चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा अपने चिकित्सक, नर्स एवं अन्य मेडिकल स्टॉफ के एक्टिव एवं पैसिव क्वारेन्टाइन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।

4– कृपया अपने जनपदों में कोविड–19 के लिए निजी चिकित्सालायों को चिन्हित करते हुए उक्त प्रस्तर–3 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
1.5.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1012(1)/पांच–5–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, संचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
01/05/2020
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव

vikas/go.

संख्या-155/2020/920/पांच-6-2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
साचीज,
(स्टेट एजेन्सी फॉर कम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 19 जून, 2020

विषय:- अधिसूचित निजी चिकित्सा संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोविड-19 जैसी महामारी से संक्रमित रोगियों के प्रभावी उपचार हेतु शासन के चिकित्सा अनुभाग-5, द्वारा समय-समय पर विभिन्न निजी चिकित्सा संस्थानों/महाविद्यालयों को कोविड हास्पिटल के रूप में अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित निजी चिकित्सा संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा कोविड-19 के रोगियों का उपचार किया जाता है।

2. प्रश्नगत संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी चिकित्सा संस्थानों/महाविद्यालयों में कोविड-19 से संक्रमित आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों से भिन्न रोगियों के उपचार पर निजी चिकित्सा संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति इस हेतु आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतः राज्य पोषित) हेतु प्राविधानित बजट से किए जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

3. कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित धनराशि का बिल/बाउचर सम्बन्धित निजी चिकित्सा संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिनके द्वारा प्राप्त बिल/बाउचर का परीक्षण करने के उपरान्त भुगतान हेतु सत्यापित कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज को अग्रसारित किया जाएगा। सत्यापित बिल/बाउचर प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज द्वारा सम्बन्धित निजी चिकित्सा संस्थानों/महाविद्यालयों को भुगतान किया जाएगा।

4. कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतः राज्य पोषित) के नियम तथा दरों के आधार पर निम्न तालिकानुसार निजी चिकित्सा संस्थानों/महाविद्यालयों को की जाएगी:-

क्र0 संख्या	वार्ड स्थिति	प्रतिदिन प्रतिबेड दर
1.	जनरल वार्ड	रू. 1,800/- (एक हजार आठ सौ रूपये मात्र)
2.	हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट	रू. 2,700/- (दो हजार सात सौ रूपये मात्र)
3.	आई0सी0यू0 बिना वेन्टीलेटर	रू. 3,600/- (तीन हजार छः सौ रूपये मात्र)
4.	आई0सी0यू0 वेन्टीलेटर सहित	रू. 4,500/- (चार हजार पांच सौ रूपये मात्र)

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

5. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लाभार्थियों के उपचार पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्व की भाँति की जाती रहेगी।

6. उक्त धनराशि का आहरण/व्यय आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतः राज्य पोषित) के लिए वित्तीय वर्ष 2020-2021 में प्राविधानित आय-व्ययक के सुसंगत मद/लेखाशीर्ष के नामे डाला जाएगा। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतः राज्य पोषित) के लिए इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,
अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-155/2020/**920(1)**/पांच-6-**2020**, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री/वित्त विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
3- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
4- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
5- निजी सचिव, मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री/मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश,
6- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
7- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
8- निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
9- सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान/महाविद्यालय के निदेशक/प्राचार्य द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
10- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
11- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
12- अपर निदेशक, (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
13- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
14- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
15- चिकित्सा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश, शासन,
16- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन,
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।